न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
मुकदमा नम्बर – 174/2022
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक – 30.09.2022
निर्णय दिनांक – 28.02.2025

अनवान

1. कालीबाई बेवा हजारी भील निवासी मदारा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज.)

.....प्रार्थीया

बनाम

1. गुलाबीबाई पति भुरा भील निवासी ईकराम कोलोनी पुलिस स्टेशन के सामने वाली गली रावतभाटा जिला चित्तोडगढ (राज.) फोत
   1/1. अन्नु पिता बाबुलाल भील (गमेती) ईकराम कोलोनी पुलिस स्टेशन के सामने वाली गली वार्ड नम्बर 10 रावतभाटा जिला चित्तोडगढ (राज.)
   1/2. श्याम पिता बाबुलाल भील (गमेती) ईकराम कोलोनी पुलिस स्टेशन के सामने वाली गली वार्ड नम्बर 10 रावतभाटा जिला चित्तोडगढ (राज.)
   1/1. राजु पिता बाबुलाल भील (गमेती) ईकराम कोलोनी पुलिस स्टेशन के सामने वाली गली वार्ड नम्बर 10 रावतभाटा जिला चित्तोडगढ (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमीधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सपठित आदेश 47 व्य.प्र.सं.
प्रकरण संख्या 3 सन 2018 रेवेन्यु वाद निर्णय दिनांक 21.05.2018

उपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री कुलदीप सिंह शक्तावत
विपक्षी संख्या 1 – अनुपस्थित
विपक्षी संख्या– पेरोकार राज

निर्णय

प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा न्यायालय हाजा के पूर्व प्रकरण संख्या 3 सन 2018 में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2018 के पुनरवलोकन हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सपठित आदेश 47 व्य.प्रक्रियासंहिता (सी.पी.सी.) पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीया/वादिया ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ग्राम खण्डेल की आराजी संख्या 340, 341, 342, 343, 339 कुल किता 5 कुल रकबा 17 बीघा भूमि जिसमें प्रार्थीया/वादिया का 2/3 हिस्सा एवं विपक्षी/प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा था, के विभाजन बाबत प्रस्तुत किया था जिसके प्रकरण संख्या 3/2018 अनवान कालीबाई बनाम गुलाबी बाई होकर दिनांक 21.05.2018 को विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित की गयी थी, जिसमें आराजी संख्या 339 के अलग–अलग टुकडे किये जाते समय आराजी संख्या 339/3 रकबा 7 बिस्वा को संयुक्त रूप से प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 के नाम पर गलत दर्ज कर दिया गया क्योंकि वादग्रस्त भूमि के कुल रकबे 17 बीघा में से विपक्षी संख्या 1 के 1/3 हिस्से अनुसार विपक्षी संख्या 1 को 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि ही दि जानी थी जो आराजी संख्या 340, 339/1 व 339/2 में दे दी गयी उसके पश्चात भी आराजी संख्या 339/3 में प्रतिवादी/विपक्षी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते राजसमन्द

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

संख्या 1 का 1/2 हिस्सा और दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीया अथवा विपक्षीया द्वारा इस आदेश एवं डिक्री की कोई अपील नहीं की गयी है। जब खाते की व नक्शे की जानकारी प्रार्थीया/वादीया ने की तो यह प्रार्थना पत्र पेश करने से 15 दिन पूर्व उक्त त्रुटि सामने आयी उक्त त्रुटि की जानकारी महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में है। जब न्यायालय द्वारा डिक्री व आदेश पारित किया गया था तब वादीया को इसकी जानकारी नहीं थी उक्त गलती अभिलेख के देखने से ही प्रकट हुई जिससे प्रार्थीया/वादीया द्वारा ऐसी जानकारी पूर्व में पेश नहीं की जा सकती थी। प्रार्थीया/वादीया को उक्त तथ्य की जानकारी 15 दिन पूर्व हुई फिर भी मयाद क्षम्य करने बाबत पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आप न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2018 का पुनविलोकन किया जावे एवं आराजी संख्या 339/3 में विपक्षी/प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 का नोटिस दिनांक 21.07.2023 को फोत होने की रिपोर्ट के साथ अदम तामील प्राप्त हुआ। दिनांक 02.08.2024 को प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 1 के वारिसान की नाम कायमी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रकरण विपक्षी संख्या 1 के वारिसान की तलबी हेतु नियत किया गया। दिनांक 20.09.2024 को विपक्षी संख्या 1 के वारिसान की तलबी हेतु जारी सम्मन अदम तामील प्राप्त होने से तलबी जरिये अखबार प्रकाशन कराये जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 17.10.2024 को प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1 के वारिसान की तलबी हेतु जारी सम्मन का प्रकाशन समाचार पत्र में करवाया गया। अखबार प्रकाशन के 1 माह पश्चात भी विपक्षी संख्या 1 के वारिसान के अनुपस्थित रहने से दिनांक 22.11.2024 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया एवं पत्रावली के निस्तारण हेतु प्रार्थी अधिवक्ता को वर्तमान राजस्व जमाबन्दी की नकल एवं भू नक्शा से वादग्रस्त आराजी का आस–पडौस सहित नक्शा प्रस्तुत करने हेतु आदेशित दिया गया।

दिनांक 06.12.2025 प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज फेहरिस्त मय दस्तावेज वर्तमान जमाबन्दी नकल पेश की गई एवं आज दिनांक को नक्शा मय दस्तावेज फेहरिस्त प्रस्तुत किया गया एवं मूल प्रकरण संख्या 3/2018 में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2018 का पुनविलोकन करते हुए आराजी संख्या 339/3 में से विपक्षी/प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित करवाये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा मूल प्रकरण संख्या 3/2018 सिगह से तलब कर देखा गया। जिससे यह जाहिर आया कि वादिया द्वारा दिनांक 11.01.2018 को वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पति के नाम पर संयुक्त खातेदारी में दर्ज ग्राम खण्डेल की आराजी संख्या 340, 341, 342, 343, 339 कुल किता–05 कुल रकबा 17 बीघा भूमि के विभाजन बाबत् उक्त वाद प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.2018 को प्रारम्भिक डिक्री किया गया। दिनांक 21.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 अभियान में ग्राम पंचायत लापस्या पर आयोजित शिविर में तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार प्रकरण में अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। विभाजन प्रस्ताव एवं डिक्री आदेश को देखने से यह ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त भूमि में वादिया का 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति भुरा का 1/3 हिस्सा दर्ज था जिसके अनुसार प्रतिवादी/विपक्षी संख्या 1 के पति भुरा को कुल भूमि 17 बीघा में से 1/3 हिस्सा अर्थात 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि दी जानी थी जो विपक्षी संख्या 1 के पति भुरा को आराजी संख्या 340, 339/1, 339/2 द्वारा दे दी गई थी किन्तु उसके बाद आराजी संख्या 339/3 रकबा 7 बिस्वा में भी वादिया/प्रार्थीया एवं प्रतिवादी/विपक्षी संख्या 1 के पति भुरा को संयुक्त रूप से बराबर बराबर हिस्सा अंकित कर दिया गया जिससे प्रतिवादी/विपक्षी संख्या 1 के पति भुरा को 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि अधिक प्राप्त हो गयी जबकि प्रार्थीया/वादिया को 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि कम प्राप्त हुई। वादिया को उसके 2/3 हिस्से अनुसार 11 बीघा 7 बिस्वा भूमि दी जानी थी। जिसमें से 11 बीघा भूमि वादिया को आराजी संख्या 341,

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

342, 343, 339मी. में दे दी गई किन्तु आराजी संख्या 339/3 रकबा 7 बिस्वा भूमि वादिया एवं विपक्षी संख्या 1 के पति भुरा के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज कर दी गई जो केवल वादिया के नाम पर दर्ज की जानी चाहिये थी। इस प्रकार विभाजन फहरिस्त में त्रुटि होने से अन्तिम डिक्री आदेश भी त्रुटिपूर्ण जारी हुआ, जिसको सुधारा जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है। वर्तमान राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी नकल संवत 2077–2077 एवं नक्शा से मिलान करने पर यह ज्ञात हुआ कि विभाजन पश्चात से आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में आराजी संख्या 339/1 रकबा 7 बिस्वा जिसके वर्तमान आराजी संख्या 2148/339 रकबा 0.0567 हैक्टेयर है, मे से विपक्षी संख्या 1 के पति भुरा का नाम विलोपित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीया/वादीया का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 114 सपठित आदेश 47 व्य.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण संख्या 3/2018 में पारित अन्तिम निर्णय एवं डिक्री आदेश में संशोधन किया जाकर आराजी संख्या 339/3 रकबा 7 बिस्वा जिसके वर्तमान आराजी संख्या 2148/339 रकबा 0.0567 हैक्टेयर में से विपक्षी संख्या 1 गुलाबीबाई के पति भुरा पुत्र लालु भील का नाम विलोपित किया जाता है एवं मूल प्रकरण संख्या 3/2018 में दिनांक 21.05.2018 को पारित अन्तिम निर्णय एवं डिक्री आदेश पर उक्त आदेश का नोट लाल स्याही से अंकित करने का आदेश दिया जाता है। यह आदेश मूल वाद में पारित आदेश दिनांक 21.05.2018 का अभिन्न अंग रहेगा एवं यह प्रार्थना पत्र प्रकरण मूल वाद का अभिन्न अंग होकर मूल वाद के साथ नत्थी किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कुंवारिया को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो। तदनुसार तहसीलदार कुंवारिया पालना कर पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमन्द

उक्त आदेश आज दिनांक 28.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

उनवान

कालीबाई **बनाम** गुलाबीबाई

संशोधित अंतिम डिक्री दिनांक 28.02.2025

उपरोक्त उनवान प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 21.05.2018 को मूल वाद में अंतिम डिक्री जारी की गई, वादीया द्वारा उक्त अंतिम डिक्री आदेश में संशोधन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। **"प्रार्थीया/वादीया का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 114 सपठित आदेश 47 व्य.प्र. सं. स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण संख्या 3/2018 में पारित अन्तिम निर्णय एवं डिक्री आदेश में संशोधन किया जाकर आराजी संख्या 339/3 रकबा 7 बिस्वा जिसके वर्तमान आराजी संख्या 2148/339 रकबा 0.0567 हैक्टेयर में से विपक्षी संख्या 1 गुलाबीबाई के पति भुरा पुत्र लालु भील का नाम विलोपित किया जाता है एवं मूल प्रकरण संख्या 3/2018 में दिनांक 21.05.2018 को पारित अन्तिम निर्णय एवं डिक्री आदेश पर उक्त आदेश का नोट लाल स्याही से अंकित करने का आदेश दिया जाता है। यह आदेश मूल वाद में पारित आदेश दिनांक 21.05.2018 का अभिन्न अंग रहेगा।"**

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमंद

उक्त आशय की संशोधित अंतिम डिक्री पर्चा आज दिनांक 28.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया जाता है जो दिनांक 21.05.2018 को जारी डिक्री का अभिन्न अंग रहे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner